[2022] 9 एस. सी. आर 601

चौकौ

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य

(2018 की आपराधिक अपील No.361-362)

28 सितंबर, 2022

[एस. अब्दुल नजीर, ए. एस. बोपन्ना और वी.

रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 376 , 302 – बलात्कार और हत्या

-

निम्नलिखित अदालतों द्वारा दोषी ठहराए जाने और मौत की सजा-चुनौती दी गईः अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में बहुत गंभीर विरोधाभास थे, जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से अविश्वसनीय बना दिया-सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने प्रमुख विरोधाभासों को तुच्छ बताते हुए कहा कि परिस्थितियों को अटूट रूप से स्थापित किया गया था-अधिकार क्षेत्र की अदालत में एफ. आई. आर. को प्रेषित करने में पांच दिनों की देरी घातक थी-जब नेत्र साक्ष्य अविश्वसनीय होता है तो अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी की चिकित्सा जांच करने में विफलता निश्चित रूप से घातक थी।

दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – एसएस। 366 , 313 , 157 , 53 , 53 ए-साक्ष्य अधिनियम, 1872 - s.106।

एफ. आई. आर.: अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में एफ. आई. आर. भेजने में देरी-प्रभाव

अभियोजन मामले में-आयोजितः यद्यपि एफ. आई. आर. को अग्रेषित करने में हर देरी आवश्यक रूप से अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकती है, न्यायालय इस तरह की देरी के प्रभाव को देखने के लिए कर्तव्यबद्ध हो सकते हैं

जाँच और यहाँ तक कि जाँच की साख भी एस में "तुरंत" शब्द। 157 (1) संहिता में समझा जाना है

प्रत्येक मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ और एक सीधा सूत्र सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है-लेकिन जहां नेत्र साक्ष्य अविश्वसनीय और इस प्रकार अस्वीकार्य पाया जाता है,

न्यायालय द्वारा लंबे विलंब पर ध्यान दिया जाना चाहिए-विशेष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय को एफ. आई. आर. प्रेषित करने में पांच दिनों की देरी घातक थी-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 157 (1) .

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.53A-- की प्रासंगिकता

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर बलात्कार के अभियुक्तों की चिकित्सीय जांच-ऐसे मामलों में जहां बलात्कार की पीड़ित जीवित है और अदालत में गवाही देने की स्थिति में है, यह संभव हो सकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त की चिकित्सकीय जांच न करके एक मौका लेना-लेकिन उन मामलों में जहां पीड़ित की मृत्यु हो गई है और अपराध को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की मांग की जाती है, चिकित्सा साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है-अभियोजन पक्ष द्वारा पेश करने में विफलता

अभियुक्त या किसी की ओर से कोई बाधा नहीं होने के बावजूद, इस तरह के साक्ष्य निश्चित रूप से मामले में एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे।

अभियोजन पक्ष और अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह को जन्म देना - s.53A अभियोजन पक्ष को आरोप को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त करने में सक्षम बनाता है-तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष की अपीलार्थी की चिकित्सा जांच करने में विफलता निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है, विशेष रूप से जब नेत्र साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस के बीच अंतर। 64 ए और एस। 53 ए-चर्चा की गई।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. पीडब्लू 1 से 3 की गवाही की विश्वसनीयताः बहुत गंभीर अंतर्विरोध थे, दोनों आपसी और

अन्यथा, पीडब्लू 1 से 3 द्वारा दिए गए साक्ष्य में, महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे, (i) प्राथमिकी दर्ज करने का तरीका; (ii) वह स्थान जहां पुलिस द्वारा पहली बार शव देखा गया था, व्यक्तियों ने लिया शव को घटना स्थल से और जहां ले जाया गया था; (iii) पूछताछ के संचालन का स्थान, तिथि और समय; और (iv) पुलिस द्वारा बरामद किए गए पीड़ित के शरीर पर कपड़े।

अविश्वसनीय। सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इन प्रमुख विरोधाभासों को यह ठहराने के लिए तुच्छ बना दिया है कि श्रृंखला कई परिस्थितियाँ अटूट स्थापित की गई हैं। [पैरा 57] [620 डी-ई]

2.1 अदालत में एफ़. आई. आर. भेजने में विलम्बः एफ. आई. आर. को अग्रेषित करने में देरी निश्चित रूप से किसी एक की विफलता का संकेत दे सकती है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बाद में प्राथमिकी में हेरफेर किया गया था या क्या इसे ठीक करने के लिए दर्ज किया गया था, बाहरी जाँच

असली अपराधी के अलावा कोई और या असली अपराधी को भागने देने के लिए। जबकि एफ़. आई. आर. को आगे बढ़ाने में हर बार देरी नहीं हो सकती है।

अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होना आवश्यक है, न्यायालय जांच पर इस तरह की देरी के प्रभाव और यहां तक कि जांच की साख को देखने के लिए कर्तव्यबद्ध हो सकते हैं।

यह न्यायालय चोटकौ बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

पाया है कि पी. डब्ल्यू. एस. के साक्ष्य 1 से 3 अविश्वसनीय है, विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट की उत्पत्ति और उत्पत्ति के सवाल पर। इसलिए, अधिकार क्षेत्र की अदालत तक एफ. आई. आर. पहुँचने में अत्यधिक देरी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह शब्द।

" संहिता की धारा 157 (1) को प्रत्येक मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में तुरंत समझा जाना चाहिए और सभी मामलों में एक सीधा सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां नेत्र साक्ष्य अविश्वसनीय और इस प्रकार अस्वीकार्य पाया जाता है, वहां न्यायालय द्वारा एक लंबी देरी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संहिता की धारा 157 (1) का अधिदेश स्पष्ट होने के कारण, अभियोजन पक्ष से बुनियादी मूलभूत तथ्यों को दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है, जैसे कि वह अधिकारी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट को न्यायालय में ले गया था।

क्षेत्राधिकार न्यायालय, वह प्राधिकरण जिसने इस तरह की कार्रवाई का निर्देश दिया और जिस तरीके से इसका पालन किया गया। इसकी व्याख्या करते हुए

संहिता के अनुपालन में सामग्री को रखने की तुलना में देरी एक अलग पहलू है। [पैरा 61 और 66] [622-एच; 623-ए-बी; 624-जी; 625-ए-बी]

2.2 वर्तमान मामले में, यह भी ज्ञात नहीं है कि कौन

पी. डब्ल्यू. 6 या पी. डब्ल्यू. 4 से प्रथम सूचना रिपोर्ट ली और क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न तो पीडब्लू4 और न ही पीडब्लू6 ने उस व्यक्ति के बारे में बात की जिसने अदालत में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे इसे अदालत में ले गए। यह केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजने में देरी का मामला नहीं है, बल्कि जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के तरीके पर अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा विरोधाभासी साक्ष्य शामिल हैं। इसलिए, विशेष रूप से इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिकार क्षेत्र की अदालत को एफ. आई. आर. भेजने में 5 दिनों की देरी घातक थी। [पारस 67 और 68] [625-सी; 626-बी-सी]

3.1 चिकित्सीय परीक्षण करने में विफलताः संहिता की धारा 53 (1) एक पुलिस अधिकारी को सक्षम बनाती है जो उप रैंक से कम न हो।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा, जो उन तथ्यों का पता लगाने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक है जो ऐसे साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को इस तरह के अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से अपराध करने के बारे में सबूत मिलेगा। [पैरा 72] [626-जी-एच] [2022] 9 एस. सी. आर.

3.2 2005 के संशोधन अधिनियम 25 द्वारा, जिसके द्वारा धारा 53 ए जोड़ी गई थी, संहिता में धारा 164 ए भी जोड़ी गई थी। जबकि धारा 53 ए व्यक्ति की चिकित्सा जांच को सक्षम बनाती है।

बलात्कार के आरोपी, धारा 164 ए बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा जांच को सक्षम बनाती है। ये दोनों प्रावधान कुछ हद तक समान हैं और इन्हें लगभग एक-दूसरे की दर्पण छवि कहा जा सकता है। लेकिन तीन विशिष्टताएँ हैं। वे इस प्रकार हैं: (i) धारा 164 ए में बलात्कार की शिकार महिलाओं की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक रूप से, ए की सहमति

उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति के पास होना चाहिए

पीड़ित को चिकित्सा के अधीन करने से पहले प्राप्त किया गया था जाँच। धारा 53 ए ऐसी किसी भी सहमति के बारे में नहीं बताती है;

(ii) धारा 164 ए में अन्य बातों के अलावा, महिलाओं की सामान्य मानसिक स्थिति को शामिल करने के लिए चिकित्सक की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। यह धारा 53 ए में अनुपस्थित है।

(iii) धारा 164 ए (1) के तहत, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा परीक्षा अनिवार्य है जब ", यह प्रस्तावित किया जाता है।

जाँच के दौरान एक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा महिलाओं के व्यक्ति की जाँच करवाना। यह इन शब्दों के उपयोग से पता चलता है, "ऐसी परीक्षा आयोजित की जाएगी"। इसके विपरीत, धारा 53 ए (1) केवल एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करना विधिसम्मत बनाती है यदि "यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से ऐसा करने के बारे में सबूत मिलेगा।

अपराध "। [पैरा 79] [630-एफ-एच; 631-ए-सी]

3.2 जिन मामलों में बलात्कार की पीड़िता जीवित है और अदालत में गवाही देने की स्थिति में है, उन मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए आरोपी की चिकित्सकीय जांच नहीं करके एक मौका लेना संभव हो सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां पीड़ित की मृत्यु हो गई है और अपराध को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की मांग की जाती है, चिकित्सा साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। अभियुक्त या किसी की ओर से कोई बाधा नहीं होने के बावजूद, इस तरह के साक्ष्य पेश करने में अभियोजन पक्ष की विफलता निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले में एक बड़ा छेद पैदा करेगी और अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह पैदा करेगी। न्यायालय इस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता कि क्या धारा 53 ए अनिवार्य है या नहीं। धारा 53 ए अभियोजन पक्ष को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य

आरोप साबित करने के लिए। इस मामले में अभियोजन पक्ष की अपीलार्थी की चिकित्सा जांच करने में विफलता निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है, विशेष रूप से जब नेत्र साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाया जाता है। [पैरा 80] [631-डी-एफ] 4. यद्यपि (i) धारा के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करने के तरीके पर भी तर्क दिए गए थे।

313 संहिता की; (ii) संहिता की धारा 313 (1) (ख) के अधिदेश का अक्षरशः पालन करने में न्यायालय की विफलता; और (iii) ऐसी विफलता के परिणाम, हम उक्त प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं। यही कारण है कि हमने इस आदेश के भाग-1 में पाया है कि पीडब्ल्यू 1 से 3 के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और इस आदेश के भाग-3 में अभियोजन पक्ष की अपीलार्थी की चिकित्सीय जांच करने में विफलता थी।

घातक। ये निष्कर्ष दोषसिद्धि और दंड के फैसले को पलटने के लिए पर्याप्त हैं। [पैरा 82] [631-जी-एच; 632-ए]

(1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एस. सी. आर. 88; मेहराज सिंह (एल/एनके.) वी. उत्तर प्रदेश राज्य (1994) 5 एस. सी. सी. 188: [1994] 3

एस. सी. आर. 592; भजन सिंह उर्फ हर्भजन सिंह और

अन्य वी। हरियाणा राज्य (2011) 7 एससीसी 421: [2011] 7 एस. सी. आर. 1; ब्रह्म स्वरूप और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

केरल राज्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 495; कृष्ण कुमार मलिक बनाम। हरियाणा राज्य (2011) 7 एससीसी 130: [2011] 8 एस. सी. आर. 774; राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2019) 12 एस. सी. सी. 460 [2018] 14 एस. सी. आर. 585 पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

[1994] 3 एससीआर 592

उस पर भरोसा करें

पैरा 59

[2011] 7 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 60

[2010] 15 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2003) 11 एस. सी. सी. 286

उस पर भरोसा करें

पैरा 63

[2015] 13 एससीआर 1131

उस पर भरोसा करें

पैरा 64

[2011] 8 एससीआर 774

उस पर भरोसा करें

पैरा 75

[2018] 14 एससीआर 585

उस पर भरोसा करें

पैरा 77

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 361-362 2018 से।

उच्च न्यायालय के 18.04.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की राजधानी सजा सं. 4 और 2014 की आपराधिक अपील सं. 570 में इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में न्यायिक कार्य।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री शिवानी मिश्रा, हर्ष पाराशर,

चाणक्य शर्मा, सुश्री चेतना भार्गव, डी. एस. वैरावन, आर. सुधाकरन, जी. आर. विकास, सुब्रह्मण्य भानू, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, ए. ए. जी., परमानंद पांडे,

सुश्री श्रेया श्रीवास्तव, आशीष मदान, सुश्री अनन्या साहू, अमन सिंह भदौरिया, उत्कर्ष पांडे, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और

376 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आई. पी. सी".) की धारा और सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी एक संदर्भ और एक अपील पर की थी, एकमात्र अभियुक्त उपरोक्त अपीलों के साथ आया है।

2. हमने श्री एस. नागमुथु को सुना है, जिनके लिए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं

अपीलार्थी और श्री अर्धेन्दुमाउली कुमार प्रसाद, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 08.03.2012 पर लगभग

20: 10 घंटे। , गांव सेमगढ़ा, पी. एस. इकौना, जिला श्रावस्ती के निवासी किशुन बहादुर ने इकौना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

कि लगभग 4 बजेः 00 उसी दिन शाम को, अपीलकर्ता होली उत्सव के अवसर पर नृत्य और गीत प्रदर्शन दिखाने के बहाने लगभग 6 साल की अपनी भतीजी को ले गया। जब लड़की घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। यह पाया गया कि अपीलार्थी उसके घर में नहीं पाया गया था, लेकिन लड़की का शव चोटकाउ v में पाया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य

[वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

गन्ने का खेत गाँव के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। फतेहपुर बहादुर नामक एक अन्य ग्रामीण, जो लापता लड़की की तलाश करने वाले दल का हिस्सा था, ने दावा किया कि उसने अपीलार्थी को लगभग आधे घंटे के बाद गन्ने के खेत से निकलते देखा था। इसलिए, अंतिम देखे गए सिद्धांत का आह्वान करते हुए और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया था

लगभग आधे घंटे के बाद गन्ने का खेत, पीडब्लू-3 के रूप में; (iv) हेड कांस्टेबल बलराम त्रिपाठी, प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक जिन्होंने पंजीकरण कराया एफ. आई. आर., पीडब्लू-4 के रूप में; (v) डॉ. मुकेश कुमार जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया, पीडब्लू-5 के रूप में; और (vi) जांच अधिकारी श्री रामबली रॉय पीडब्लू-6 के रूप में।

5. दंड संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ के दौरान

प्रक्रिया (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित), अपीलार्थी ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उसे श्री जालिम खान के कहने पर मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था, ताकि उसकी संपत्ति हड़प ली जा सके।

उनकी माँ, जो कोई और नहीं बल्कि जालिम खान के भाई की बेटी थीं। इस दावे की पुष्टि करने के लिए, अपीलार्थी ने अपनी माँ से डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में भी पूछताछ की।

6. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी का अपराध परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है और यह भी अभिनिर्धारित करते हुए कि यह है

दुर्लभतम मामलों में से एक जहां छह साल की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी, सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 303 और 36 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई।

7. इसके बाद पुष्टि के लिए संहिता की धारा 366 (1) के तहत उच्च न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ता ने एक याचिका भी दायर की। मृत्युदंड के संदर्भ के साथ-साथ अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा एक साथ लिया गया और उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। उच्च न्यायालय इस आधार पर उक्त निष्कर्ष पर पहुंचा कि [2022] 9 एस. सी. आर. का साक्ष्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीडब्लू 1 से 3 विश्वसनीय थे और अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला उनके साक्ष्य द्वारा अखंड रूप से स्थापित हो गई थी। अपीलार्थी द्वारा बताए गए पीडब्लू 1 से 3 की गवाही में विसंगतियों को मामूली और महत्वहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शत्रुता और गलत निहितार्थ के सिद्धांत और डी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य के माध्यम से स्थापित किए जाने की मांग को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के साथ किसी भी मुद्दे के साथ नहीं आने के लिए गलती पाई

लड़की के साथ क्या हुआ, विशेष रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उस पर डाले गए बोझ के आलोक में स्पष्टीकरण।

संहिता की धारा 313 के तहत किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था न्यायालय और उच्च न्यायालय अंततः सत्र न्यायालय से सहमत हुए कि यह दुर्लभतम मामलों में से एक है जहां अपीलार्थी ने विचलित व्यवहार और असामान्य यौन इच्छा का प्रदर्शन किया है, जिससे उसके जीवन के अधिकार को खो दिया गया है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि की। इन परिस्थितियों में, आरोपी हमारे समक्ष अपील पर है।

9. स्पष्ट रूप से और स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी का अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण और अटूट है। जैसा कि इस न्यायालय ने शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 में अभिनिर्धारित किया है,

न्यायालय को पाँच सुनहरे सिद्धांतों या पंचशील को ध्यान में रखना चाहिए, जो निर्णय के पैरा 153 में स्पष्ट रूप से सामने लाए गए हैं:

" 153. .....

(1)

जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकलता है

खींचा जाना पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए।

(2)

इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल इसके अनुरूप होने चाहिए

अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाया नहीं जाना चाहिए सिवाय इसके कि

कि अभियुक्त दोषी है,

परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और

(3)

प्रवृत्ति,

उन्हें हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए सिवाय इसके कि

(4)

साबित करने के लिए एक, और

(1984) 4 एस. सी. सी. 116 चोटकौ बनाम।

अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई भी उचित आधार छोड़ दें और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

10. इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने केवल पीडब्लू 1 से 3 के साक्ष्य के माध्यम से अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने की मांग की। पीडब्लू 1 और 2 थे

पीड़ित को गन्ने के खेत की ओर ले जाते देखा। पीडब्लू-3 ने अपीलार्थी को पीड़ित को घर से ले जाते हुए और घर छोड़ते हुए भी देखा था।

लापता लड़की, उसका शव गन्ने के खेत में मिला और अपीलार्थी फरार था। इन पर संचयी विचार पर परिस्थितियों और अंतिम देखे गए सिद्धांत को लागू करते हुए और साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत डाले गए सबूत के बोझ को लागू करते हुए, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थी दोषी था।

11. सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णयों को स्वीकार करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री एस. नागमुथु ने तर्क दिया कि पीडब्लू 1 से 3 का साक्ष्य अविश्वसनीय है; कि अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय को प्राथमिकी अग्रेषित करने में पांच दिनों की अस्पष्ट देरी हुई; कि उस स्थान के बारे में गंभीर विरोधाभास थे जहां पीड़ित का शव रखा गया था और जिस स्थान पर पूछताछ की गई थी; कि अंतिम देखे गए सिद्धांत का समर्थन करने के लिए साक्ष्य अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त थे; कि अभियोजन पक्ष की ओर से भौतिक गवाहों की जांच करने में पूरी तरह से विफलता थी।

कि कर्तव्यों के एक चौंकाने वाले त्याग में, आई. ओ. फोरेंसिक/चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा; और कि संहिता की धारा 313 की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

12. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान ए. ए. जी. श्री अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को फंसाने के लिए पीडब्लू 1 से 3 के लिए कोई कारण नहीं हैं; कि उनके साक्ष्य को दो न्यायालयों द्वारा ठोस और भरोसेमंद पाया गया था; कि अदालत में एफ. आई. आर. भेजने में देरी ने मुकदमे को दूषित नहीं किया और अपीलार्थी को पूर्वाग्रहित नहीं किया; कि संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ में कोई भी दोष, निष्कर्षों को वास्तव में दूषित नहीं कर सकता है, जब तक कि पूर्वाग्रह नहीं दिखाया जाता है; और यह कि फोरेंसिक/चिकित्सा साक्ष्य हमेशा अनिवार्य नहीं होता है।

13. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमारे विचार में, हमारे विचार के लिए जो प्रश्न सामने आते हैं, वे-[2022] 9 एस. सी. आर. के इर्द-गिर्द घूमते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(i) कुछ अंतर्विरोधों के आलोक में पीडब्लू 1 से 3 की गवाही की विश्वसनीयता; (ii) न्यायालय में एफ. आई. आर. भेजने में पुलिस की ओर से देरी के परिणाम; (iii) फोरेंसिक/चिकित्सा साक्ष्य और उसके प्रभाव को प्रस्तुत करने में अभियोजन पक्ष की विफलता और (iv) संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ करने का तरीका और दर्ज किए गए निष्कर्षों पर इसका प्रभाव।

I. पीडब्लू 1 से 3 की गवाही की विश्वसनीयता

14. जैसा कि हमने पहले संकेत दिया है, अपीलार्थी के अपराध की मांग की जाती है

अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया जाना, (i) अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को लागू करने के लिए पीडब्लू 1 से 3 की गवाही पर भरोसा करना; और (ii) साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू करना।

15. यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, उन्हें पहले यह स्थापित करना होगा कि

अपीलार्थी के ज्ञान में विशेष रूप से कोई तथ्य था। अभियोजन पक्ष द्वारा यह केवल यह साबित करके किया जा सकता है कि पीड़ित को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था। इस अंतिम देखे गए सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष पीडब्लू 1 से 3 के साक्ष्य पर निर्भर करता है। पीडब्लू 1 और 2 ने दावा किया है कि उन्होंने अपीलार्थी को 04 बजे लड़की को ले जाते देखा हैः 00 पी. एम. 08.03.2012 पर। पीडब्लू-3 का दावा है कि उसने अपीलार्थी को लगभग आधे घंटे के बाद गन्ने के खेत से निकलते देखा है। इसलिए, अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की के साथ जो हुआ उसे दिखाने का बोझ अपीलार्थी/अभियुक्त पर बहुत अधिक था।

16. इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या पीडब्लू 1 से 3 का साक्ष्य विश्वसनीय था और उसी ने अंतिम देखे गए सिद्धांत को साबित किया। सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने पीडब्लू 1 से 3 के साक्ष्य को ठोस और भरोसेमंद पाया है। बचाव पक्ष द्वारा बताए गए विरोधाभासों को दोनों न्यायालयों द्वारा मामूली और महत्वहीन माना गया था। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला तीसरा न्यायालय होने के नाते, हमें इन गवाहों की विश्वसनीयता के सवाल पर विचार करते समय बहुत सावधानीपूर्वक रास्ता अपनाना होगा। 17. अन्य मामलों के विपरीत, इस मामले में अपीलार्थी ने शुरू से ही बचाव का अधिकार लिया है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था।

स्थानीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी पत्नी गाँव की प्रधान है। द.

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला था (i) कि उसके नाना एक लज़ीम खान थे; (ii) कि लज़ीम खान का भाई एक ज़लीम खान था; (iii) कि लज़ीम खान की मृत्यु के बाद, उसकी संपत्ति अपीलार्थी की माँ जन्नतुल निशा को हस्तांतरित कर दी गई; (iv) कि ज़लीम खान चाहता था चोटकाउ बनाम।

अपीलार्थी की माँ से संपत्ति हड़पने के लिए लेकिन अपीलार्थी और उसकी माँ ज़लिम खान द्वारा भूमि को छीनने के लिए तैयार नहीं थे; और (v) चूंकि ज़लिम खान गाँव में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और उसकी पत्नी भी गाँव की प्रधान है, इसलिए वह फंसाने में कामयाब रहा। इस मामले में अपीलार्थी गलत है।

18. उपरोक्त दावे की सच्चाई को प्रदर्शित करने के लिए, अपीलार्थी ने 3 कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने पीडब्लू 1 से 3 का सामना प्रासंगिक प्रश्नों के साथ किया।

क्रॉस-परीक्षा। तब अपीलार्थी ने धारा 313 के तहत पूछताछ में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया। तीसरा, अपीलार्थी ने अपनी माँ की डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में भी जाँच की। 19. आइए अब हम प्रतिपरीक्षा के दौरान पीडब्लू-1 से बचाव पक्ष द्वारा प्राप्त उत्तरों पर ध्यान दें। संबंधित भाग

प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू-1 की गवाही इस प्रकार है "

" अभियुक्त की माँ-जन्नतुल निशा, पहले सेमगढ़ा में रहती थी; अब वह इकौना में रहती है। इकौना में, माँ की

आरोपी का जुमाई पठान के परिवार में संबंध है। अभियुक्त की माँ के पास इकौना में कृषि भूमि नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह वहाँ मजदूर के रूप में काम करती है या नहीं। सेमगढ़ा में आरोपी की मां के पास कृषि भूमि का 28-30 बीघा है जो उसके पास था

अभियुक्त के नाना से मिला। आरोपी के नाना का कोई बेटा नहीं था, इसलिए आरोपी के नाना की जमीन आरोपी की मां के नाम पर स्थानांतरित कर दी गई थी। अभियुक्त के नाना का नाम लाजिम खान है जो केवल सेमगढ़ा गाँव का निवासी था। लाजिम खान वर्तमान ग्राम प्रधान जालिम खान के पट्टीदार (रिश्तेदार) हैं। जालिम खान बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं। वह.

उनके पास 200 बीघा जमीन, 2 ट्रैक्टर, दो मोटरसाइकिल और 4 बेटे हैं। मेरे गाँव में जालिम खान का बहुत प्रभाव है। उनकी प्रमुखता है।

जालिम खान मौके पर आ गए थे। जालिम खान ने एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए कहा था। जालिम खान अभियुक्त चोटकाऊ की भूमि पर खेती करता है। जालिम खान ने भूमि से संबंधित अदालती मामला जीत लिया है। [2022] 9 एस. सी. आर. के संबंध में मुकदमा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूमि उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है। चोटकाऊ की माँ

इस घटना के बाद वह इकौना में रहता है। 20. यह कहने के बाद कि क्रॉस के दौरान ऊपर क्या निकाला गया है

परीक्षण, पीडब्लू-1 ने इस संबंध में दिए गए कुछ सुझावों को अस्वीकार कर दिया। उनकी गवाही का वह हिस्सा जिसमें उन्होंने सुझावों का खंडन किया था, इस प्रकार हैः

" यह कहना सही है कि किसी भी गवाह ने चोटकाऊ को उमा देवी का बलात्कार और हत्या करते नहीं देखा है। यह कहना गलत है कि मैंने जालिम खान प्रधान द्वारा कहे जाने पर चोटकाऊ के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराया था। यह कहना गलत है कि हम जालिम खान प्रधान के आदमी हैं। यह गलत है कि जालिम खान प्रधान की जमीन को लेकर चोटकाऊ की मां के साथ दुश्मनी है, इसलिए जालिम खान ने चोटकाऊ के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराया था। यह कहना गलत है कि चोटकाऊ ने न तो बलात्कार किया था और न ही उमा देवी की हत्या की थी। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।

21. यहां तक कि पीडब्लू-2 को भी संबंधित विशिष्ट प्रश्नों का सामना करना पड़ा

अपीलार्थी को फंसाने में जालिम खान की कथित भूमिका। पीडब्लू-2 की प्रतिपरीक्षा का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" मैं आरोपी चोटकाऊ की मां को जानता हूं। उनका मातृ घर केवल सेमगढ़ा गाँव में है और वह लज़ीम खान की बेटी हैं।

लाजिम खान की मृत्यु हो गई है। लज़ीम खान का कोई बेटा नहीं था। लाजिम खान की मृत्यु के बाद, वर्तमान प्रधान जालिम खान को अपनी जमीन मिली और वह केवल भूमि पर खेती करता है। अभियुक्त की माँ को अपने पिता की ज़मीन नहीं मिली थी। लाजिम खान और जालिम खान असली भाई हैं। जमीन लगभग 18-20 बीघा होगी। जालिम खान पूरी भूमि पर खेती करता है। चोटकाऊ की माँ यहाँ से भाग गई थी और इकौना में रह रही थी। छोटकाऊ के तीन भाई हैं जिनमें वे भी शामिल हैं। इन तीनों के पास कोई जमीन नहीं है। वे तीनों हैं

मजदूरों के व्यवसाय में लगे हुए "।

22. ऊपर जो कहा गया है, उसे कहने के बाद, पीडब्लू-2 ने इस सुझाव का खंडन किया कि यह जालिम खान था जिसने अपीलार्थी को इसमें फंसाया था।

अभियुक्त चोटकाऊ और जालिम खान के बीच। 24. संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ के दौरान अंतिम प्रश्न (प्रश्न No.13) के उत्तर में, कि क्या वह कुछ और कहना चाहता है, अपीलार्थी ने इस प्रकार कहाः

चोटकाउ बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

" लज़ीम खान की मृत्यु के बाद, उनके असली भाई ज़लीम खान ने लज़ीम खान की सारी संपत्ति हड़प ली थी और आरोपी को निष्कासित कर दिया था। आरोपी अपने नाना की जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ रहा था इसलिए जालिम खान ने उसे इसमें झूठा फंसाया।

मामला "।

25. अपीलार्थी की माँ ने डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में जाँच की और न केवल इस बात को विस्तार से बताया कि अपीलार्थी को खान के कहने पर गलत तरीके से फंसाया गया था, बल्कि यह भी बताया कि पीड़ित के साथ क्या हो सकता था। डी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है -वीएसः

" पिता की मृत्यु के बाद, मुझे असहाय पाते हुए, जालिम खान ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। इसी कारण से जालिम खान के साथ हमारी गहरी दुश्मनी है। मेरे बेटे चोटकाऊ और मैंने ज़लिम खान का विरोध किया प्रधान का चुनाव और अन्य मामले, यही कारण है कि जालिम खान ने मेरे बेटे को इस झूठे मामले में फंसाया। जालिम खान ने किशन बहादुर और राजकरण को झूठा फंसाया है।

शिकायतकर्ता और उक्त मामले में गवाह जो जालिम खान के सेवक हैं। सच्चाई यह है कि मामले की शिकायतकर्ता के भाई की बेटी किशन बहादुर गन्ने के खेत में शौच के लिए गई थी, वहीं एक मरकहा (आक्रामक) नीलगाय ने उसे अपने सींगों से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन दुश्मनी के कारण इस मामले को एक अलग रंग देते हुए, जालिम खान ने स्थानीय पुलिस पर दबाव बनाकर मेरे बेटे को आरोपी के रूप में फंसाया। हमे उमा देवी के नीलगाय द्वारा मारे जाने के तथ्य का पता चला जब बेहना का बेटा उसी खेत में शौच के लिए गया था और नीलगाय ने उसे भी अपने सींग से मारा था जिससे उसका अंडकोश हो गया था।

टूट गया था "।

26. अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार रखे गए बचाव को ध्यान में रखते हुए, आइए हम पीडब्लू 1 से 3 के साक्ष्य के अन्य भागों पर आते हैं।

एफ. आई. आर. दर्ज करने का तरीका

27. इस सवाल पर कि शिकायत कैसे दर्ज की गई और उसके तुरंत बाद क्या हुआ, पीडब्लू-1 ने मुख्य परीक्षा में कहा।

कमियाँः

" मैं घटना की जानकारी देने के लिए पुलिस स्टेशन गया,

वहाँ एक आदमी द्वारा लिखा गया आवेदन पढ़ा गया

आवेदन पत्र पर मेरे हस्ताक्षर किए गए और उसी [2022] 9 एस. सी. आर. को सौंपा गया।

पुलिस स्टेशन तक। उसी तहरीक पर मेरा मामला दर्ज किया गया था।

" जब मैंने तहरीक सौंपी तो पुलिस मौके पर गई,

लाश के संबंध में दस्तावेजों का प्रदर्शन किया और भेजा

शव को पोस्टमार्टम के लिए। जाँच अधिकारी ने

मेरा बयान लिया और मौके पर गया। उन्होंने तैयारी की थी कि

मेरे द्वारा इंगित किए गए स्थल का नक्शा "।

28. जिरह के दौरान, पीडब्लू-1 ने कहाः

" मैं खुद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। आई.

निवासी व्यक्ति द्वारा शिकायत लिखी गई थी सीत्काहना से। पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने स्वयं प्रदान किया

कागज। इंस्पेक्टर ने मुझे एफ़. आई. आर. लिखने के लिए कहा था।

मेरे पक्ष के किसी भी व्यक्ति द्वारा "।

29. लेकिन आगे की प्रतिपरीक्षा के दौरान पीडब्लू-1 ने इस प्रकार कहाः " मैंने थाने के अंदर ही किसी अन्य व्यक्ति से एफ़. आई. आर. की तहरीक लिखवाई थी। निरीक्षक ने इसे निर्देशित किया था और प्राप्त किया था

लिखा गया है। मैंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। 30. कुछ समय बाद, पीडब्लू-1 को आगे के पार के दौरान भर्ती किया गया

निम्नलिखित अभिप्रेरणाः

" जालिम खान मौके पर आ गए थे। जालिम खान ने लेने के लिए कहा था

छोटकाऊ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

31. पीडब्लू-1 ने जो कहा, उसके विपरीत, पीडब्लू-3 ने कहा कि पुलिस स्टेशन को टेलीफोन पर राशन दिया गया था, फिरई आदमी आ गया था। " जिरह के दौरान भी पीडब्लू-3 ने कहा कि ओलिस फोन आने पर मौके पर पहुंचा और उसने नहीं किया

जिसने फोन किया।

32. पीडब्लू-4, हेड कांस्टेबल ने मुख्य परीक्षा में कहाः " 08.03.2012 पर, मुझे पुलिस स्टेशन में एच. सी. के रूप में तैनात किया गया था

इकौना, जिला-श्रावस्ती। उस दिन मामले के शिकायतकर्ता श्री किशुन द्वारा एक लिखित हिंदी तहरीर प्रस्तुत की गई थी। बहादुर पुत्र चिंताराम, सेमगढ़ा निवासी, पुलिस थाना इकौना, जिला श्रावस्ती। जिरह के दौरान पीडब्लू-4 ने दोहरायाः " मामले की शिकायतकर्ता ने मुझे एक लिखित चोटकौ वी दिया था।

आवेदन। मामले की शिकायतकर्ता ने 20 बजे 08.03.2012 पर तहरीक दी थीः 10 घंटे। "

33. इस प्रकार इस सवाल पर भी कि पुलिस को पहली जानकारी कैसे दी गई, अलग-अलग संस्करण हैं। एक संस्करण के अनुसार, "पीडब्लू-1 पुलिस स्टेशन गया, वहाँ एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई तहरीक प्राप्त की, शिकायत को पढ़ा, उसके हस्ताक्षर किए और उसे पुलिस स्टेशन को सौंप दिया।" दूसरे संस्करण के अनुसार, फिर से पीडब्लू-1 द्वारा, "निरीक्षक ने इसे निर्देशित किया और इसे लिखा।" एक तीसरे संस्करण के अनुसार "जालिम खान ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहा था

अपीलार्थी के खिलाफ "। चौथे संस्करण के अनुसार, जो पीडब्लू-3 द्वारा था, "पुलिस को फोन कॉल के माध्यम से जानकारी दी गई थी"।

34. इस प्रकार अलग-अलग संस्करण थे, (i) पुलिस को पहली जानकारी कैसे दी गई; और (ii) जिसके द्वारा शिकायत लिखी गई थी।

वह स्थान जहाँ पुलिस ने शव देखा था, लोग शव को घटना स्थल से ले जाया गया और जहाँ ले जाया गया था।

35. इस बारे में कई विरोधाभास थे, (i) वह स्थान जहाँ पुलिस ने पहली बार शव देखा था; (ii) वह व्यक्ति जो शव ले गया था। मृत शरीर; और (iii) वह स्थान जहाँ मृत शरीर को ले जाया गया था। पीडब्लू-1 ने मुख्य रूप से कहा-परीक्षण इस प्रकार हैः

" जब मैंने तहरीक को सौंप दिया, तो पुलिस मौके पर गई, शव के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत किए और भेजे

पोस्टमॉर्टम के लिए शव "।

36. प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू-1 ने कहा, "शव मिलने के बावजूद, हम शव को घर नहीं लाए। जब पुलिस

कर्मी आ गए थे, वे शव को ले गए। आगे की प्रतिपरीक्षा के दौरान पीडब्लू-1 ने कहाः शव पूरी रात वहाँ नहीं पड़ा था। मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि किस समय इंस्पेक्टर शव को ले गया था। इंस्पेक्टर साढ़े सात बजे आया था। वह अपनी गाड़ी में आया था। इंस्पेक्टर शव को अपने वाहन में ले गया था।

" सभी से सलाह करने के बाद इंस्पेक्टर शव को पुलिस स्टेशन ले गया था। वह पुलिस स्टेशन से एक कपड़ा लेकर आया था और उसी कपड़े में लपेटकर शव को ले गया था। बाद में हम शव के साथ गए थे। "[2022] 9 एस. सी. आर.

37. लेकिन कुछ समय बाद, पीडब्लू-1 ने प्रतिपरीक्षा में कहाः

38. पीडब्लू-3 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान कहाः " लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था।

घटना स्वयं ही घटित होती है। "

39. पीडब्लू-4, प्राथमिकी दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल ने जिरह में कहाः शव को पुलिस के पास नहीं लाया गया था

स्टेशन "।

40. लेकिन दिलचस्प रूप से पीडब्लू-6, जांच अधिकारी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान निम्नलिखित बात कहीः

" ..... मामला दर्ज करने के बाद, मैं उसी दिन रात के 09.00-09.30 बजे घटना स्थल पर गया था। जब मैं मौके पर पहुँचा तो घनी रात हो गई थी। परिवार के लोग रो रहे थे। रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिए मैं रात में एक दारोगा और दो-तीन सिपाहियों के साथ वहीं रहता था। जब मैं गाँव पहुँचा, तब तक गाँव वाले

पहले से ही शव को घर ले आया था

घटना स्थल। इसलिए, उपरोक्त कारणों से मैं उस रात घटना स्थल पर नहीं गया। हालाँकि मैंने उल्लेख नहीं किया है यह तथ्य मेरी केस डायरी में है लेकिन यह सही तथ्य है। शव को पहले मुखबिर के घर के दरवाजे के सामने रखा गया था

और परिवार के सदस्य वहाँ ही रो रहे थे।

41. जब पीडब्लू 1 से 3 के इस आशय के बयानों का सामना किया गया कि शव को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, तो पीडब्लू-6 ने गलत होने से इनकार किया। प्रतिपरीक्षा में इस प्रश्न का उनका उत्तर इस प्रकार थाः अगर मामले की शिकायतकर्ता ने कहा होता कि पुलिसकर्मी रात में ही उमा के शव को थाने ले गया था और वहां जांच की कार्यवाही की थी, तो यह तथ्य गलत है।

42. इस प्रकार, अलग-अलग संस्करण हैं (i) उस स्थान के बारे में जहां पुलिस ने पहली बार शव देखा था; और (ii) इस बारे में कि शव को कौन और कहाँ ले गया था। पीडब्लू-1 का पहला संस्करण यह था कि "वह और चोटकौ बनाम।

उनके साथ आए अन्य ग्रामीण शव को घर नहीं लाए और जब पुलिस कर्मी आए तो उन्होंने शव को ले गए। पीडब्लू-1 का दूसरा संस्करण था "इंस्पेक्टर अपने वाहन में शव को पुलिस स्टेशन ले गया"। उनका तीसरा संस्करण यह था कि "जब पहली सूचना आवेदन लिखा गया था, तो लड़की के शव को पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखा गया था"। उनका चौथा संस्करण यह था कि "पुलिस कर्मियों ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एक जादू (वाहन के ब्रांड) द्वारा ले जाया था"। पीडब्लू-3 द्वारा एक नया संस्करण सामने रखा गया था कि लड़की के शव को घटना स्थल से ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जिसका अर्थ है कि शव को कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया था। पीडब्लू-4, हेड कांस्टेबल ने कहा कि शव को पुलिस स्टेशन नहीं लाया गया था। पीडब्लू-6, जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस शव को पुलिस स्टेशन नहीं ले गई और उसने पहले मुखबिर के घर के सामने के दरवाजे के पास शव को देखा।

43. एक और विरोधाभास था जो महत्वपूर्ण है। पीडब्लू-1 द्वारा यह दावा किया गया था और अन्य लोगों द्वारा पुष्टि की गई थी कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही घटना स्थल पर आई थी। लेकिन जिरह के एक स्थान पर, पीडब्लू-1 ने दावा किया कि जब पहली सूचना आवेदन लिखा गया था, तो लड़की के शव को पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखा गया था। इसलिए, यह एक रहस्य बना हुआ है कि क्या शव को कभी पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और यदि ऐसा है, तो कैसे, कब और क्यों।

स्थान, तिथि और समय के संबंध में विभिन्न संस्करण

जाँच का संचालन।

44. जिस स्थान पर जाँच की गई थी और जिस तिथि और समय पर जाँच की गई थी, उसके बारे में कई विसंगतियाँ थीं।

आयोजित किया गया। पीडब्लू-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस प्रकार कहा है:

" ..... फिर लड़की की खोजबीन करते हुए छेददान के परिवार के सदस्य गन्ने के खेत की ओर गए और खोजबीन शुरू की, फिर उन्होंने पाया कि उमा का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ था। उसके मूत्र मार्ग से खून बह रहा था, उसके कपड़े फट गए थे और वह मर गई थी। मैं भी मौके पर गया। छेददान के परिवार के सदस्यों ने पुलिस स्टेशन को सूचित किया था, जिस पर पुलिस

थाना इकौना की टीम आ गई थी। उन्होंने मौके पर ही जाँच की कार्यवाही की थी और [2022] 9 एस. सी. आर. प्राप्त किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूछताछ के ज्ञापन पर मेरे हस्ताक्षर। जब पूछताछ का ज्ञापन दिखाया गया और गवाह को पढ़ा गया, तो उसने कहा कि यह वही पूछताछ का ज्ञापन था जो मेरी उपस्थिति में तैयार किया गया था और मैंने उस पर अपने हस्ताक्षर का विपणन किया था जिसे मैं सत्यापित करता हूं।

45. दिलचस्प बात यह है कि पीडब्लू-2 ने प्रतिपरीक्षा में कहा, जो उन्होंने मुख्य परीक्षा में कहा था, उसके विपरीत। पी. डब्ल्यू.-2 ने क्रॉस में क्या कहा जाँच यह थी कि "लड़की के शव पर जाँच की कार्यवाही मेरे सामने नहीं की गई थी"।

46. पीडब्लू-6, जाँच अधिकारी ने मुख्य रूप से कहा-जाँच

इस प्रकार हैः

" ... . रात होने के कारण जांच की कार्यवाही नहीं की जा सकी। 09.03.12 पर जाँच की कार्यवाही की गई थी

पूरा हो गया था और शव को जिले में भेज दिया गया था

मुहर लगाने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए बहराइच-उसी पर मुहर लगाना। उसी दिन मैंने शिकायतकर्ता का बयान मौके पर दर्ज किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया और गवाहों के बयान दर्ज किए।

घटना की रात 7 बजे अपना बयान दर्ज कराया। 48. आई. ओ. द्वारा जांच के समय उपस्थित होने के लिए उल्लिखित पांच पंच गवाहों में से तीन व्यक्तियों के नाम हैं।

पीडब्लू-1 द्वारा भी इनका उल्लेख किया गया था, लेकिन पीडब्लू-1 के अनुसार, आई. ओ. अपने वाहन में साढ़े सात बजे मौके पर आया और पीडब्लू-2 सहित चार या पांच व्यक्तियों के नाम लिखे, उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए और चला गया।

49. इसलिए, पूछताछ के संचालन की तारीख के बारे में दो संस्करण थे। एक संस्करण के अनुसार, यह घटना की तारीख, 08.03.2012 पर आयोजित किया गया था, लेकिन आई. ओ. के अनुसार, यह 09.03.2012 पर आयोजित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि आई. ओ. ने प्रतिपरीक्षा के एक चरण में विरोधाभास में एक और आयाम जोड़ा।

उन्होंने चोटकाउ बनाम का दावा किया। उत्तर प्रदेश राज्य [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

बाद में, 09.03.2012 पर ही जाँच कार्यवाही के दो घंटे बाद। 50. इसके अलावा जांच उस स्थान पर की जानी चाहिए थी जहां शव मिला था। पीडब्लू-1 ने दावा किया कि वह शव को घर नहीं लाया और मौके पर आए पुलिसकर्मी शव को ले गए। लेकिन पीडब्लू-6 के अनुसार, रिश्तेदार शव को घर ले गए थे और उन्होंने शव को केवल घर में देखा था। यदि ऐसा है, तो जाँच की कार्यवाही वहीं की जानी चाहिए थी, न कि कहीं और। यह बहुत अजीब बात है कि पीडब्लू-6 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान दावा किया कि उसने पहले जांच पूरी की और उसके बाद घटना स्थल का निरीक्षण किया।

पीड़ित के शरीर पर कपड़े, पुलिस द्वारा बरामद किए गए।

सैंडो बनियान हरे रंग का था। सलवार भी लाल रंग का था। 52. पीडब्लू-1 ने यह भी दावा किया कि "घटना स्थल पर, ब्रीफ फटी हुई थी और उसके अंगों से अलग पड़ी थी"। उन्होंने यह भी कहा कि

सलवार उससे दूर लेटा हुआ था और सलवार में खून के धब्बे थे। पीडब्लू-1 ने दावा किया कि उसने सलवार ले लिया था।

53. पीडब्लू-3 ने दावा किया कि पुलिस बरामद करके ले गई

पीड़ित का सलवार। दिलचस्प बात यह है कि पीडब्लू-3 ने कहा कि वह घटना स्थल पर गया और उसने पाया कि पीड़ित ने लाल रंग का फ्रॉक और काले रंग का धब्बेदार सलवार पहना हुआ था।

54. जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान कहा कि मृतक ने ईंट के रंग की सैंडो बनियान और बैंगनी रंग पहना हुआ था

हरे रंग के सलवार पर खून नहीं लगा था। इस प्रकार, सलवार के रंग के संबंध में 3 अलग-अलग संस्करण थे। पीडब्लू-1 ने कहा कि यह लाल था, दूसरा पीडब्लू-3 ने कहा कि यह काला रंग था और तीसरा पीडब्लू-6 ने कहा कि यह हरे रंग का था। इसी तरह, [2022] 9 एस. सी. आर. थे।

सलवार पर रक्त की उपस्थिति के संबंध में दो अलग-अलग संस्करण, एक पीडब्लू-1 द्वारा और दूसरा पीडब्लू-6 द्वारा।

55. कथित तौर पर डिप्टी द्वारा भेजा गया 27.03.2012 का एक पत्र

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का हिस्सा थे, संभवतः अंतिम रिपोर्ट के साथ, लेकिन जिसे प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था, यह इंगित करता है कि मृतक द्वारा पहना गया सलवार, जिस पर वीर्य के दाग थे, फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए कुछ सामानों में से एक था। लेकिन फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट नहीं थी।

56. आश्चर्यजनक रूप से, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को संबोधित उपरोक्त पत्र दिनांक 27.03.2012, जांच द्वारा नहीं भेजा गया था।

अधिकारी लेकिन पुलिस उपाधीक्षक द्वारा।

57. इस प्रकार महत्वपूर्ण पहलुओं पर पीडब्लू 1 से 3 द्वारा दिए गए साक्ष्य में आपसी और अन्य दोनों तरह से बहुत गंभीर विरोधाभास थे।

जैसे, (i) एफ. आई. आर. दर्ज करने का तरीका; (ii) वह स्थान जहाँ पुलिस ने पहली बार शव देखा था, व्यक्ति शव को घटना स्थल से ले गए और जहाँ इसे ले जाया गया था; (iii) पूछताछ करने का स्थान, तिथि और समय; और (iv) पुलिस द्वारा बरामद किए गए पीड़ित के शरीर पर कपड़े। ये अंतर्विरोध पीडब्लू 1 से 3 के साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय बनाते हैं। दुर्भाग्य से, सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इन प्रमुख अंतर्विरोधों को तुच्छ बताते हुए कहा है कि परिस्थितियों की श्रृंखला अटूट रूप से स्थापित की गई है।

II. अदालत में एफ़. आई. आर. भेजने में देरी

58. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई थीः 10 घंटे। 08.03.2012 पर। सीजेएम, श्रावस्ती की अदालत ने 13.03.2012 पर प्राथमिकी की प्रति प्राप्त की। इसलिए, एफ. आई. आर. की वास्तविकता पर एक बादल डालने की कोशिश की जाती है। 59. त्वरितता के महत्व पर, एफ. आई. आर. के पंजीकरण और उसे न्यायालय में प्रेषित करने दोनों में, निर्भरता है

मेहराज सिंह (एल/एनके) में निम्नलिखित अंश पर विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागमुथु द्वारा रखा गया। बनाम यू. पी. राज्य 2

" 12. आपराधिक मामले में और विशेष रूप से हत्या के मामले में एफ. आई. आर. मुकदमे में दिए गए साक्ष्य की सराहना करने के उद्देश्य से सबूत का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान टुकड़ा है। शीघ्रता पर जोर देने का उद्देश्य एफ. आई. आर. दर्ज करना इस संबंध में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है।

2 (1994) 5 एस. सी. सी. 188 चोटकौ बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

जिस परिस्थिति में अपराध किया गया था, जिसमें शामिल हैं वास्तविक दोषियों के नाम और उनके द्वारा निभाए गए भाग, उपयोग किए गए हथियार, यदि कोई हों, और चश्मदीद गवाहों के नाम भी, यदि

कोई भी। एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी के परिणामस्वरूप अक्सर अलंकरण होता है, जो एक विचार के बाद का प्राणी है। देरी के कारण, एफ़. आई. आर. न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है, बल्कि एक रंगीन संस्करण या अतिरंजित कहानी की शुरुआत से भी खतरा पैदा हो जाता है।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्राथमिकी, उस समय दर्ज की गई थी जब इसे कथित रूप से दर्ज किया गया था, अदालतें आम तौर पर कुछ बाहरी जाँचों की तलाश करती हैं। चेकों में से एक स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी की प्रति की प्राप्ति है, जिसे हत्या के मामले में एक विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। यदि यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा देर से प्राप्त की जाती है तो यह निष्कर्ष निकल सकता है कि प्राथमिकी उस समय दर्ज नहीं की गई थी जब इसे दर्ज करने का आरोप लगाया गया था, जब तक कि अभियोजन पक्ष निश्चित रूप से देरी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है।

स्थानीय द्वारा एफ. आई. आर. की प्रति भेजना या प्राप्त करना।

मजिस्ट्रेट। अभियोजन पक्ष ने इस ओर से कोई सबूत नहीं दिया है। दूसरी बाहरी जाँच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि शव के साथ एफ़. आई. आर. की प्रति भेजी जाए और एफ़. आई. आर. में इसका संदर्भ दिया जाए।

जाँच रिपोर्ट। भले ही जाँच रिपोर्ट तैयार की गई हो

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत। पी. सी., का उद्देश्य एक वैधानिक कार्य को पूरा करना है,

अभियोजन पक्ष के मामले, एफ़. आई. आर. के विवरण और जाँच कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए बयानों के सार को विश्वास दिलाना। रिपोर्ट में प्रतिबिंबित करें। उन विवरणों की अनुपस्थिति संकेत है

इस तथ्य के बारे में कि अभियोजन पक्ष की कहानी अभी भी भ्रूण अवस्था में थी और इसे कोई आकार नहीं दिया गया था और बाद में उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और तब इसे तुरंत दर्ज की गई एफ़. आई. आर. का रंग देने के लिए समय निर्धारित किया गया था। हमारी राय में, ऊपर देखी गई दुर्बलताओं के कारण, एफ. आई. आर. ने अपना मूल्य और प्रामाणिकता खो दी है और हमें ऐसा लगता है कि

उसी समय को पूर्व निर्धारित किया गया है और जांच तक दर्ज नहीं किया गया था

पीडब्लू8 द्वारा मौके पर कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

60. उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराते हुए, इस न्यायालय द्वारा भजन सिंह उर्फ हरमन सिंह और आर. एस. बनाम हरियाणा राज्य मामले में सावधानी का एक नोट जोड़ा गया था। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 28 से 30

इस प्रकार हैः

" 28. इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता आंतरिक और बाहरी जांच के लिए प्रावधान करती हैः उनमें से एक संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा एफ. आई. आर. की प्रति की प्राप्ति है। यह इस उद्देश्य को पूरा करता है कि एफ़. आई. आर. समय-विरोधी या तारीख-विरोधी न हो। मजिस्ट्रेट को हर गंभीर घटना के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए

अपराध ताकि वह धारा 159 के तहत कार्य करने की स्थिति में हो।

Cr.P.C., यदि आवश्यक हो। धारा 159 Cr.P.C.

मजिस्ट्रेट स्वयं या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपराध की जांच या प्रारंभिक जांच करेगा। यह मजिस्ट्रेट को जाँच के बारे में सूचित रखने के लिए बनाया गया है ताकि वह जाँच को नियंत्रित कर सके और यदि आवश्यक, उचित दिशा देने के लिए।

29. ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में हर देरी अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाएगी कि

एफ. आई. आर. बताए गए समय पर दर्ज नहीं की गई है या समय-विरोधी या दिनांक-विरोधी है या जांच निष्पक्ष और स्पष्ट नहीं है। इस तरह की हर देरी घातक नहीं है जब तक कि आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं दिखाया जाता है। उसमें उल्लिखित "तत्काल" अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष को मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भेजने में हर घंटे की देरी के बारे में स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। यदि किसी मामले में मृत और घायल व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है, रिपोर्ट भेजने में देरी स्वाभाविक है। बेशक, इसे प्रचलित परिस्थितियों में उचित समय के भीतर भेजा जाना चाहिए।

30. हालाँकि, मजिस्ट्रेट को एफ़. आई. आर. की प्रति भेजने में अस्पष्ट अत्यधिक देरी अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है जब ऐसी परिस्थितियाँ हों जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उचित विचार-विमर्श के बाद आरोपी व्यक्तियों को गलत तरीके से शामिल करके प्राथमिकी में हेरफेर की संभावना थी। देरी एफ़. आई. आर. के संदेह के लिए वैध आधार प्रदान करती है, क्योंकि यह अभियोजन पक्ष को सुधार और अलंकरण शुरू करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करती है। इस प्रकार, एफ. आई. आर. भेजने में देरी अपने आप में ऐसी परिस्थिति नहीं है जो अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज कर सके।

इसकी संपूर्णता, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष रिपोर्ट या अभियोजन मामले के प्रेषण में देरी के लिए एक ठोस स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, तो स्वयं निर्विवाद साक्ष्य का नेतृत्व करके साबित किया जाता है।

61. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी निश्चित रूप से बाहरी चोटकौ बनाम में से एक की विफलता का संकेत दे सकती है।

62. संहिता की धारा 157 (1) में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को "तुरंत" प्राथमिकी भेजने की आवश्यकता होती है। कानूनी परिणाम इस न्यायालय ने ब्रह्म स्वरूप और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में न्यायालय में एफ. आई. आर. को अग्रेषित करने में पुलिस की ओर से देरी पर विचार किया। संयोग से ब्रह्म स्वरूप (ऊपर) भी एक ऐसा मामला है जिसमें रिपोर्ट भेजने में पांच दिनों की देरी हुई थी।

मजिस्ट्रेट (वर्तमान मामले में)। इस न्यायालय के पहले के कई फैसलों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने ब्रह्म स्वरूप मामले में पैरा 21 में निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 21. तत्काल मामले में, बचाव पक्ष ने इस संबंध में जांच अधिकारी, राज गुरु (PW.10) से कोई सवाल नहीं किया, इस प्रकार, इस मुद्दे पर उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी। अतः अभियोजन पक्ष को विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा गया था। इसके अलावा, श्री तुलसी द्वारा दी गई यह दलील कि एफ. आई. आर. पूर्व-समय पर दर्ज की गई थी, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए स्वीकार नहीं की जा सकती है।

यह दिखाने के लिए जाता है कि घटना के 20 मिनट के भीतर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई थी क्योंकि पुलिस स्टेशन केवल 1 किमी दूर था। घटना स्थल और सभी अभियुक्तों के नाम

एफ. आई. आर. में इसका उल्लेख किया गया है।

63. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, एक पर निर्भरता रखी गई थी

बलराम सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य 'मामले में तीन सदस्यीय पीठ का निर्णय। बलराम सिंह (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी प्रेषित करने में देरी के संबंध में तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि "प्राथमिकी में देरी के संबंध में शिकायत पर विचार करते हुए

न्यायिक मजिस्ट्रेट, हमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए नेत्र साक्ष्य की विश्वसनीयता को भी ध्यान में रखना होगा और यदि हम पाते हैं कि ऐसा नेत्र साक्ष्य स्वीकृति के योग्य है,

4 (2011) 6 एससीसी 288 5 (2003) 11 एससीसी 286 [2022] 9 एस. सी. आर.

न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्वयं अभियोजन मामले को कमजोर नहीं करेगा।

64. राजस्थान राज्य बनाम दाउद खान 'के मामले में, इस न्यायालय ने ब्रह्म स्वरूप का उल्लेख किया और "तुरंत" शब्द की व्याख्या की। संहिता की धारा 157 (1) इस प्रकार हैः

मजिस्ट्रेट को एफ़. आई. आर. की एक प्रति के "तुरंत" संचार का उद्देश्य इसके हेरफेर की संभावना की जाँच करना है। इसलिए, विशेष रिपोर्ट को प्रेषित करने में देरी मजिस्ट्रेट एफ. आई. आर. दर्ज करने से जुड़ा हुआ है। अगर कोई देरी नहीं है

एक एफ. आई. आर. दर्ज करना, फिर संचार में कोई देरी

मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट वास्तव में बहुत कम होगी।

परिणामस्वरूप, चूंकि एफ. आई. आर. में हेरफेर करने पर फैसला सुनाया जाएगा

बाहर निकलें। फिर भी, अभियोजन पक्ष को मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में देरी के बारे में बताना चाहिए। हालांकि, अगर देरी के बारे में जांच अधिकारी से कोई सवाल नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि जब भी मजिस्ट्रेट को एफ. आई. आर. भेजने में कुछ देरी होती है, तो अभियोजन पक्ष का बयान बदल जाता है।

अविश्वसनीय। दूसरे शब्दों में, इस संबंध में निर्णय के लिए किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं। 99

65. इसलिए, राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, सिद्धांत रूप में, सही हो सकता है कि अदालत में प्राथमिकी के संचरण में देरी, अपने आप में, बिना किसी और चीज़ के घातक नहीं हो सकती है। लेकिन हाथ के मामले में, देरी छोटी नहीं थी। एफ. आई. आर. में कहा गया है कि 08.03.2012 पर पंजीकृत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा 13.03.2012 पर प्राप्त किया गया था। यह सच है कि इस देरी के बारे में जांच अधिकारी से जिरह में कोई सवाल नहीं पूछा गया था।

66. लेकिन हमें पता चला है कि पीडब्ल्यू के साक्ष्य। 1 से 3 अविश्वसनीय है, विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट की उत्पत्ति और उत्पत्ति के सवाल पर। इसलिए अधिकार क्षेत्र की अदालत तक एफ. आई. आर. पहुँचने में अत्यधिक देरी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम इस बात से सहमत हैं कि संहिता की धारा 157 (1) में "तुरंत" शब्द को प्रत्येक मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और

6 (2016) 2 एस. सी. सी. 607 चोटकौ बनाम।

सीधा-जैकेट सूत्र सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां नेत्र साक्ष्य अविश्वसनीय और इस प्रकार अस्वीकार्य पाया जाता है, एक लंबी देरी न्यायालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। संहिता की धारा 157 (1) का अधिदेश स्पष्ट होने के कारण, अभियोजन पक्ष को इस पर रखने की उम्मीद है

बुनियादी मूलभूत तथ्यों को अभिलिखित करें, जैसे कि वह अधिकारी जो क्षेत्राधिकार न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट ले गया था, वह प्राधिकरण जिसने इस तरह की कार्रवाई का निर्देश दिया था और जिस तरीके से इसका पालन किया गया था। संहिता के अनुपालन में सामग्री को रखने की तुलना में देरी की व्याख्या करना एक अलग पहलू है।

67. वर्तमान मामले में, यह भी ज्ञात नहीं है कि पी. डब्ल्यू. 6 या पी. डब्ल्यू. 4 से प्रथम सूचना रिपोर्ट किसने ली और आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

क्षेत्राधिकार न्यायालय। न तो पीडब्लू-4 और न ही पीडब्लू-6 ने उस व्यक्ति के बारे में बात की जिसने अदालत में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे इसे अदालत में ले गए। यह केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजने में देरी का मामला नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा विरोधाभासी साक्ष्य शामिल है।

जिस तरीके से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जाती है, उस पर गवाह।

68. ऐसा करने के लिए तार्किक तर्क के साथ धारा 157 (1) के अनुपालन के प्रश्न पर, निर्णय से निम्नलिखित अंश जाफरुद्दीन और ओआरएस। बनाम केरल राज्य 'को उपयोगी रूप से उद्धृत किया जा सकता है।

निम्नानुसारः

" 26. न्यायक्षेत्र मजिस्ट्रेट जाँच प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य जाँच को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बनाना है। जाँच अधिकारी को मजिस्ट्रेट को अपनी चल रही जाँच के दायरे में रखना होता है। इसका उद्देश्य संभावित गड़बड़ी से बचना है। मजिस्ट्रेट की धारा 159 के तहत भूमिका है।

Cr.PC।

सबूत। इसलिए, यह आवश्यक है कि इस तरह की जानकारी जल्द से जल्द क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट तक पहुंचे ताकि किसी भी संभावित पूर्व-तिथि या पूर्व-समय से बचा जा सके जिससे आरोपी को इसके विपरीत दोषी ठहराने के लिए सामग्री डाली जा सके।
सच तो यह है कि इस तरह की देरी के कारण न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो सकता है, बल्कि अतिरंजित, एक रंगीन संस्करण की शुरुआत से एक खतरा भी पैदा हो सकता है।

विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप लेखा या मनगढ़ंत कहानी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के मामले को नियत समय के बाद अस्वीकार करने में केवल देरी ही एकमात्र कारक नहीं हो सकती है।

जांच पड़ताल की। अंततः, यह संबंधित न्यायालय को लेना है कि

कॉल करें। इस पर विचार करने के बाद इस तरह का विचार किए जाने की उम्मीद है

प्रासंगिक सामग्री "।

इसलिए, हमारा मानना है कि विशेष रूप से इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिकार क्षेत्र की अदालत को प्राथमिकी प्रेषित करने में 5 दिनों की देरी घातक थी।

III. चिकित्सकीय परीक्षण करने में विफलता

69. इस तथ्य के बावजूद कि यह छह साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का एक चौंकाने वाला मामला था, अभियोजन पक्ष ने आरोपी को अधीन करने की परवाह नहीं की

(इसमें अपीलार्थी) एक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जाँच करने के लिए। दो दस्तावेज थे जो अंतिम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए गए अभिलेखों का हिस्सा थे, लेकिन जिन्हें प्रदर्शित नहीं किया गया था। उनमें से एक पी. डब्ल्यू.-5 द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्रतीत होता है, जिस पर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था। यह ज्ञापन दिनांकित 09.03.2012 वरिष्ठ रोगविज्ञानी को संबोधित है,

जिला अस्पताल, बहराइच। ज्ञापन इस प्रकार हैः

" योनि स्मीयर किलोमीटर के शरीर से दो स्लाइडों में तैयार किया जाता है। उमा डी/ओ छेदम लाल, आर/ओ सेमगाधा, पीएस इकौना, जिलाः श्रावस्ती "।

70. दूसरा एक रिपोर्ट दिनांकित 10.03.2012 है। वह इस प्रकार हैः

" रिपोर्ट-आपूर्ति किए गए नमूने की सूक्ष्म जांच में, कोई भी शुक्राणु जीवित या मृत नहीं लगता है। नहीं (अस्पष्ट) देखा गया।

71. इस तथ्य के बावजूद कि 09.03.2012 दिनांकित ज्ञापन के लेखक की जांच पीडब्लू-5 के रूप में की गई थी, उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की। की रिपोर्ट

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जिसे सलवार भेजा गया था, भी जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। 72. संहिता की धारा 53 (1) उप-निरीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी जांच करने के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अनुरोध करने में सक्षम बनाती है, जो उचित हो।

जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी प्रकृति का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो उन तथ्यों का पता लगाने के लिए आवश्यक है जो इस तरह के साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं, कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से अपराध करने के बारे में सबूत मिलेगा। धारा 53 (1) इस प्रकार हैः

" 53. चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की जाँच पुलिस अधिकारी का अनुरोध। - (1) जब किसी व्यक्ति को ऐसी प्रकृति का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उस पर ऐसी परिस्थितियों में किए जाने का आरोप लगाया जाता है कि

यह विश्वास करने के लिए कि उसके व्यक्ति की जाँच से अपराध करने के बारे में सबूत मिलेगा, यह एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए वैध होगा, जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करेगा, और किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसकी सहायता में और उसके निर्देश के तहत सद्भावना से कार्य कर रहा है,

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी जाँच करना जैसे कि तथ्यों का पता लगाने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक जो हो सकता है

इस तरह के सबूत देने के लिए और ऐसे बल का उपयोग करने के लिए जो उचित हो यह उस उद्देश्य के लिए आवश्यक है।

73. 2005 के अधिनियम 25 द्वारा, मूल स्पष्टीकरण के स्थान पर 53 के तहत एक नया स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया गया था। 2005 के अधिनियम 25 द्वारा धारा 53 के तहत इस प्रकार दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः

" स्पष्टीकरण। - इस धारा में और धारा 53 क और 54 में,

(क) "परीक्षण" में रक्त, रक्त के दाग, वीर्य, यौन अपराधों के मामले में स्वाब, थूक और पसीना, बालों के नमूने और उंगलियों के नाखूनों की जांच शामिल होगी, जिसमें डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग सहित आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा और ऐसे अन्य परीक्षण शामिल होंगे जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशेष मामले में आवश्यक समझते हैं। (बी) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का अर्थ है एक चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास खंड में परिभाषित कोई चिकित्सा योग्यता है।

(ज) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 का और जिसका नाम राज्य चिकित्सा परिषद में दर्ज किया गया है।

रजिस्टर करें "।

74. 53 पर एक नए स्पष्टीकरण के प्रतिस्थापन के साथ, 2005 के अधिनियम 25 ने भी धारा 53 ए में एक नया प्रावधान जोड़ा।

53 ए पर इस प्रकार लिखा हैः

" 53 ए. बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच

अभ्यासी, - (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्कार के अपराध या बलात्कार करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होते हैं कि उसके व्यक्ति की जांच [2022] 9 एस. सी. आर.

ऐसे अपराध के होने के बारे में साक्ष्य, यह सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए वैध होगा और ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में उस स्थान से सोलह किलोमीटर के दायरे में जहां अपराध किसी अन्य पंजीकृत द्वारा किया गया है।

उप-निरीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करने वाला चिकित्सा व्यवसायी और इसमें कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए

उस उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक। (2) इस तरह का संचालन करने वाला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी

परीक्षा, बिना किसी देरी के, ऐसे व्यक्ति की जांच करेगी और निम्नलिखित विवरण देते हुए उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, अर्थात्:

" ((i) अभियुक्त और व्यक्ति का नाम और पता

जिसे वह लाया गया था,

((ग) अभियुक्त व्यक्ति पर चोट के निशान, यदि कोई हों, ((iv) डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के लिए अभियुक्त के व्यक्ति से ली गई सामग्री का विवरण, और

((v) उचित विस्तार से अन्य सामग्री विवरण।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के लिए सटीक कारण बताए जाएँगे।

पहुँच गया।

(4) शुरू होने और पूरा होने का सही समय

जाँच को भी रिपोर्ट में नोट किया जाएगा।

(5) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी देरी के जांच अधिकारी की रिपोर्ट भेजेगा, जो इसे जांच अधिकारी को भेजेगा।

धारा 173 में दस्तावेजों के हिस्से के रूप में संदर्भित मजिस्ट्रेट उस धारा की उप-धारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट।

75. यहां तक कि एक मामले में जहां बलात्कार की पीड़िता जीवित थी और अदालत में गवाही दी थी और आरोपी की भी एक डॉक्टर द्वारा जांच की गई थी, यह कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य में पाया गया कि

ई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए था

उक्त निर्णय का अनुच्छेद 40 इस प्रकार है:

) 7 एस. सी. सी. 130 चोटकौ बनाम।

" 40. अपीलार्थी की जाँच भी डॉक्टर द्वारा की गई थी, जिन्होंने

उसे यौन संबंध बनाने में सक्षम पाया। में

अभियोजक के अंडरगारमेंट्स, पुरुष वीर्य पाए गए लेकिन इन्हें फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया जो अपीलार्थी द्वारा अपराध करने के संबंध में किसी भी संदेह की छाया से परे निर्णायक रूप से साबित हो सकते थे। अभियोजन पक्ष की ओर से यह कमी घातक साबित होती है और अपीलार्थी के पक्ष में जाती है। "

76. नव अंतःस्थापित धारा 53 ए के दायरे में, यह न्यायालय

एन. कृष्ण कुमार मलिक (ऊपर) इस प्रकार हैं:

" 44. अब, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, डब्ल्यू. ई. एफ. 23.6.2006 में धारा 53 ए को शामिल करने के बाद, यह आवश्यक हो गया है। अभियोजन पक्ष को इस प्रकार के मामलों में डी. एन. ए. परीक्षण के लिए जाने के लिए, अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के खिलाफ अपना मामला साबित करने में सुविधा प्रदान करना। 2006 से पहले, सी. आर. पी. सी. में उपरोक्त विशिष्ट प्रावधान के बिना भी अभियोजन पक्ष डी. एन. ए. परीक्षण या विश्लेषण प्राप्त करने और अपीलार्थी के वीर्य का अभियोजक के अंडरगारमेंट्स पर पाए जाने वाले वीर्य के साथ मिलान करने की इस प्रक्रिया का सहारा ले सकता था ताकि इसे एक मूर्खतापूर्ण मामला बनाया जा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें ऐसा करना चाहिए।

परिणाम का सामना करें "।

77. यह सच है कि इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने नरेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य 'में संकेत दिया कि धारा

अनिवार्य नहीं है। यह उक्त अनुच्छेद 49 और 50 में आयोजित किया गया था। आयन इस प्रकार हैः

" 49. जबकि धारा 53-ए सी. आर. पी. सी.। यह अनिवार्य नहीं है, इसके लिए निश्चित रूप से एक सकारात्मक निर्णय लेने की आवश्यकता है। तर्कसंगत होना चाहिए

यह विश्वास करने के लिए आधार कि किसी व्यक्ति की जाँच बलात्कार के अपराध या बलात्कार करने के प्रयास के बारे में सबूत देगी। यदि उचित आधार मौजूद हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए (2) द्वारा अभिनिर्धारित चिकित्सा जांच होनी चाहिए। आयोजित किया गया और जिसमें अभियुक्त की जाँच शामिल है और

डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के लिए अभियुक्त के व्यक्ति से ली गई सामग्री का विवरण। एक अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो

यह विश्वास करने के लिए उचित आधार कि

अभियुक्त एक आयोग के रूप में सबूत नहीं देगा

अपराध जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह काफी संभावना नहीं है कि एक आरोप

बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के लिए भी अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाएगा।

50. इसी तरह, धारा 164-ए. सी. आर. पी. सी., जहाँ भी संभव हो, बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सीय जांच की अपेक्षा करती है। बेशक,

पीड़ित की सहमति आवश्यक है और परीक्षा आयोजित करने वाले व्यक्ति को पीड़ित की चिकित्सकीय जांच करने में सक्षम होना चाहिए। पुनः, चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकताओं में से एक पीड़ित की जांच और उससे ली गई सामग्री का विवरण है।

डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए महिला का व्यक्ति "।

78. यह कहने के बाद कि धारा 53 ए अनिवार्य नहीं है, यह न्यायालय उक्त निर्णय के पैराग्राफ 54 में कहता है कि अभियोजन पक्ष के डीएनए साक्ष्य की विफलता, एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की गारंटी देती है।

ग्राफ 54 इस प्रकार हैः

" 54. अभियोजन पक्ष द्वारा डी. एन. ए. साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, विशेष रूप से जब देश में डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष को इसका लाभ उठाने की अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी, विशेष रूप से धारा 53-ए और धारा 164-ए सीआरपीसी के प्रावधानों को देखते हुए। हम यह सुझाव देने की हद तक नहीं जा रहे हैं कि यदि कोई डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग नहीं है, तो अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारा निश्चित रूप से यह विचार है कि जहां डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग नहीं की गई है या इसे निचली अदालत से रोक दिया गया है, तो अभियोजन पक्ष के लिए एक प्रतिकूल परिणाम होगा।

79. इस स्तर पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 2005 के उसी अधिनियम 25 द्वारा, जिसके द्वारा धारा 53 ए जोड़ी गई थी, संहिता में धारा भी जोड़ी गई थी। जहां धारा 53 ए बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की कैल परीक्षण को सक्षम बनाती है, वहीं धारा 164 ए बलात्कार की पीड़िता की कैल परीक्षण को सक्षम बनाती है। ये दोनों प्रावधान हैं -क्या समान है और लगभग अन्य की दर्पण छवि कहा जा सकता है। लेकिन तीन विशिष्टताएँ हैं। वे इस प्रकार हैंः

(i) धारा 164 ए में बलात्कार की शिकार महिलाओं की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक रूप से, उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए थी

पीड़ित की चिकित्सकीय जाँच कराने से पहले। धारा 53 ए

ऐसी किसी भी सहमति के बारे में बात नहीं करता है; चोटकाउ बनाम।

(ii) धारा 164 ए में अन्य बातों के अलावा, महिलाओं की सामान्य मानसिक स्थिति को शामिल करने के लिए चिकित्सक की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। यह धारा 53 ए में अनुपस्थित है।

(iii) धारा 164 ए (1) के तहत, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा जांच अनिवार्य है, जब "एक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा महिला के व्यक्ति की जांच कराने का प्रस्ताव है"।

जाँच के दौरान। यह इन शब्दों के उपयोग से पता चलता है, "ऐसी परीक्षा आयोजित की जाएगी"। इसके विपरीत, धारा 53 ए (1) केवल एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करना वैध बनाती है यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि

उसका व्यक्ति इस तरह के कार्य के बारे में सबूत देगा। अपराध "।

80. जिन मामलों में बलात्कार की पीड़िता जीवित है और अदालत में गवाही देने की स्थिति में है, वहां अभियोजन पक्ष के लिए मौका लेना संभव हो सकता है।

अभियुक्त की चिकित्सकीय जाँच न करके। लेकिन ऐसे मामलों में जहां पीड़ित की मृत्यु हो गई है और अपराध को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की मांग की जाती है, चिकित्सा साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। अभियुक्त या किसी की ओर से कोई बाधा नहीं होने के बावजूद, इस तरह के साक्ष्य पेश करने में अभियोजन पक्ष की विफलता निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले में एक बड़ा छेद पैदा करेगी और अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह पैदा करेगी। हम इस सवाल में नहीं जाना चाहते कि धारा 53 ए अनिवार्य है या नहीं। धारा 53 ए अभियोजन पक्ष को आरोप साबित करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की अपीलार्थी की चिकित्सीय जांच करने में विफलता

अभियोजन पक्ष के मामले के लिए निश्चित रूप से घातक है, विशेष रूप से जब नेत्र साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाया जाता है। 81. पीड़ित द्वारा पहने गए सलवार पर खून/वीर्य के दाग पर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त करने में उनकी विफलता, अभियोजन पक्ष की विफलता को बढ़ाती है।

IV. संहिता की धारा 313 के आसपास घूमता तर्क

82. यद्यपि (i) में तरीके पर भी तर्क दिए गए थे।

जिसे अभियुक्त का बयान संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था; (ii) संहिता की धारा 313 (1) (बी) के अधिदेश का अक्षरशः पालन करने में न्यायालय की विफलता; और (iii) ऐसी विफलता के परिणाम, हम उक्त प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं। यही कारण है कि हमने इस [2022] 9 एस. सी. आर. के भाग-I में पाया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेश दें कि पी. डब्ल्यू. 1 से 3 के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और इस आदेश के भाग III में अभियोजन पक्ष की अपीलार्थी के अधीन करने में विफलता

चिकित्सीय परीक्षण घातक था। ये निष्कर्ष दोषसिद्धि और दंड के फैसले को पलटने के लिए पर्याप्त हैं।

सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय का तर्क

83. समाप्त करने से पहले, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहना आवश्यक है। में।

इस प्रकार के मामलों में न्यायालय संभाव्यता के परीक्षण पर साक्ष्य का आकलन करने के लिए बाध्य है। यद्यपि न्यायालय को "उसके समक्ष मामलों" पर विचार करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है, लेकिन इस तरह के साक्ष्य को संतुष्टि दर्ज करने से पहले सावधानीपूर्वक जांचना होगा। यह मात्रा नहीं है, लेकिन जो मायने रखता है वह गुणवत्ता है। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने पीडब्ल्यू के साक्ष्य पाए। 1 से 3

स्वीकार्य है। दिए गए बयानों में गंभीर अंतर्निहित विरोधाभास

दोनों न्यायालयों द्वारा उन पर विधिवत ध्यान नहीं दिया गया है। जब अपराध जघन्य होता है, तो न्यायालय को सामग्री साक्ष्य को उच्च जांच के तहत रखने की आवश्यकता होती है। निचली अदालत के तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, हम पाते हैं कि पीडब्ल्यू द्वारा दिए गए बयानों के मूल्यांकन में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। 1 से 3 तक। किसी ने यह नहीं बताया कि एफ. आई. आर. किसने अदालत में भेजी और कब भेजी गई। अजीब बात है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति भी

एस. एच. ओ. द्वारा 13.03.2012 पर स्वीकार किया गया था, हालांकि पोस्टमॉर्टम 09.03.2012 पर किया गया था। यह वही तारीख थी जिस पर एफ़. आई. आर. अदालत में पहुंची थी। ये कारक निश्चित रूप से एक मजबूत

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी पर संदेह, लेकिन दोनों न्यायालयों ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय की ओर से इस गलत दृष्टिकोण के कारण अपीलार्थी को फांसी पर चढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है।

निष्कर्ष

84. हम इस तथ्य से पीछे नहीं हट सकते कि यह 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का एक भयावह मामला है। जाँच ठीक से न करके अभियोजन पक्ष ने पीड़ित परिवार के साथ अन्याय किया है। बिना किसी साक्ष्य के अपीलार्थी पर दोषारोपण तय करके, जो जांच में खड़ा रहेगा, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के साथ अन्याय किया है। अदालत किसी को, अन्याय का शिकार, अपराध के पीड़ित के साथ हुए अन्याय की भरपाई करने के लिए नहीं बना सकती है।

85. वास्तव में यह एक ऐसा मामला है जहाँ अपीलार्थी इतना गरीब है कि वह सत्र न्यायालय में भी एक वकील को नियुक्त करने का जोखिम नहीं उठा सकता था।

जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उनके बार-बार अनुरोध, एक वकील की ए सेवा न्यायमित्र के रूप में प्रदान की गई थी। इस तरह के मामलों में न्यायालय की जिम्मेदारी अधिक कठिन हो जाती है। जब हम इस तरह की जिम्मेदारी की भावना के साथ साक्ष्य का विश्लेषण करते हैं, तो हम आश्वस्त नहीं होते हैं कि अपीलार्थी का अपराध उचित संदेह से परे स्थापित हुआ है। इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है और दोषसिद्धि और दंड को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी को किसी अन्य मामले के संबंध में वांछित नहीं होने पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

देविका गुजराल (सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)